

Tollfree Helpline : 1800 425 : 0018

केनरा बैंक  Canara Bank

HO : 112, JC Road, Bangalore - 560 002 / प्र का: बेंगलूर

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) के ऋणों के लिए आवेदन पत्र**APPLICATION FORM FOR LOANS TO MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES (MSEs)**

(To be submitted along with documents as per the checklist) (जाँचसूची के अनुसार कागजातों के साथ प्रस्तुत किया जाना है)

द्वारा / From:

सेवा में/To:

श्री / श्रीमती /Sri/Smt./M/s.....

प्रबंधक/The Manager

केनरा बैंक/Canara Bank

शाखा/Branch:.....

प्रिय महोदय/Dear Sir,

मैं/हम आपसे मुझे/हमें नीचे बताई गई बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने की अनुमति का अनुरोध करता हूँ/ करते हैं। आवश्यक विवरण नीचे दिए गये हैं। / I/We request you to grant me/us the banking facilities indicated below. The necessary particulars are given below.

- उद्यमी का नाम /NAME OF THE ENTREPRENEUR
- पंजीकृत कार्यालय का पता / REGD. OFFICE ADDRESS
- फैक्टरी/ दुकान का पता /
ADDRESS OF THE FACTORY/SHOP
- क्या अजा/अजजा/ओबीसी/अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित हैं
WHETHER BELONGS TO SC / ST / OBC / MINORITY COMMUNITY
- दूरभाषा संख्या/TELEPHONE NO. (कार्यालय/OFFICE)
(आवास/RESIDENCE)
फैक्स संख्या/FAX NO. मोबाईल
संख्या/MOBILE NO.
ई-मेल/EMAILADDRESS
- संगठन / CONSTITUTION

व्यक्तिगत / मालिकाना/सझेदारी / सीमित देयता साँझेदारी (एलएलपी)/प्राइवेट लिमिटेड कंपनी / लिमिटेड कंपनी / सहकारी समिति / अन्य/ INDIVIDUAL/ PROPRIETORSHIP/ PARTNERSHIP /LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP (LLP)/ PRIVATE LIMITED COMPANY / LIMITED COMPANY/ CO-OPERATIVE SOCIETY / OTHERS
- पैन कार्ड संख्या / PAN CARD NO.
- टिन संख्या /जीएसटी संख्या /
TIN NO./GST NO
- प्रतिस्थापन/ निगमन की तिथि
DATE OF ESTABLISHMENT/INCORPORATION
- एमएसएमई पंजीकरण संख्या/ उद्योग आधार ज्ञापन संदर्भ संख्या
MSME REGISTRATION NO./UDYOG AADHAR MEMORANDUM REF. NO.

11. उद्यमी/ साझेदारों/कंपनी के निदेशकों/ मुख्य कार्यकारी के नाम एवं पते / NAME OF THE PROPRIETOR/PARTNERS/DIRECTORS OF THE COMPANY/KEY FUNCTIONARY & THEIR ADDRESS

नाम / Name	आयु/ Age	शैक्षिक योग्यता / Academic Qualification	निवास का पता/ Residential Address	दूरभाषा सं/ Telephone No.	गतिविधि क्षेत्र में अनुभव / Experience in the line of activity

12. गतिविधि /
ACTIVITY

वर्तमान / EXISTING

प्रस्तावित/ PROPOSED #

यदि वर्तमान के अतिरिक्त कोई विभिन्न गतिविधि प्रस्तावित है /If a different activity other than the existing activity is proposed

13. सहबद्ध संस्थानों के नाम एवं सहबद्धता का स्वभाव: शून्य / NAMES OF ASSOCIATE CONCERNS AND NATURE OF ASSOCIATION: NIL

सहबद्ध संस्था का नाम / Name of the Associate concern	सहबद्ध संस्था का पता / Address of the Associateconcern	वर्तमान बैंकर / Present Banker	संस्था की प्रकृति/ Nature of Association	सहबद्ध संस्था में मालिक/ साझेदार/निदेशक या मात्र निवेशक के रूप में हित Extent of interest as a proprietor /Partner /director or just investor in associate concern

14. वर्तमान बैंक /जिसके साथ बैंकिंग करते हैं:

PRESENT BANKER/BANKING WITH: BANK

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारी इकाई ने किसी अन्य बैंक / वित्तीय संस्थाAn से पूर्व में कोई ऋण नहीं लिया है एवं मैं / हम ऋण में नहीं हैं

It is certified that our unit has not availed any loan from any other Bank/Financial Institution in the past and I/we are not indebted.

15. क्या कोई क्रेडिट/अन्य सुविधा ली गई है/WHETHER AVAILED ANY CREDIT/OTHER FACILITY: हाँ/YES / नहीं / NO

16. यदि हमारे साथ बैंकिंग की जाती है/IF BANKING WITH US:

क. ग्राहक संख्या/खाता सं / CUSTOMER NO./ACCOUNT NO.

ख. मालिक/साझेदार/ निदेशक का बैंक के कर्मचारी /बैंक के निदेशक के साथ संबंध

RELATION OF THE PROP/PARTNER/DIRECTOR WITH THE OFFICIALS OF
THE BANK/DIRECTOR OF THE BANK

A. CUSTOMER NO. / ACCOUNT NO.

B. RELATION OF THE PROP/PARTNER/DIRECTOR WITH THE
OFFICIALS OF THE BANK/DIRECTOR OF THE BANK

17. क्रेडिट सुवधा (वर्तमान) / CREDIT FACILITIES(EXISTING)

सुविधा का प्रकार Type of facility	सीमा Limit	बकाया/Outstanding (.....तक)/ (as on)	दी गई प्रतिपूर्ति Security offered	ब्याज दर Rate of interest	पुनर्भुगतान शर्त Repayment terms
ओवरड्राफ्ट/Overdraft					

नकद ऋण/Cash credit बही ऋण वित्तीयन/ Book debt finance पैकिंग ऋण/Packing credit					
बिल वित्तीयन/Bill finance सीबीडी/CDB एसबीडी /SDB बीई/BE आपूर्ति बिल/SUPPLY BILLS एफडीबी/एफबीई/पीएससीएफसी/ FDB/FBE/PSCFC					
अन्य अल्प अवधि ऋण Other short term loan					
मियादी ऋण Term loan					
साख -पत्र/Letter of credit					
बैंक गारंटी/Bank guarantee					

अन्य बैंकों से प्राप्त की गई साख सुविधाओं का विवरण उपरोक्त के अनुसार अलग से परिशिष्ट में प्रस्तुत करें DETAILS OF CREDIT FACILITIES ENJOYED WITH OTHER BANKS TO BE FURNISHED AS ABOVE SEPARATELY IN THE FORM OF AN ANNEXURE

18. अनुरोध की गई/ वांछित ऋण सुविधाएं /CREDIT FACILITIES REQUESTED/REQUIRED:

सुविधा का प्रकार Type of facility	सीमा Limit	दी गई प्रतिपूर्ति Security offered	ब्याज दर Rate of interest	पुनर्भुगतान शर्त Repayment terms
ओवरड्राफ्ट/Overdraft				
नकद ऋण/Cash credit बही ऋण वित्तीयन/Book debt finance पैकिंग ऋण/Packing credit				
बिल वित्तीयन/Bill finance सीबीडी/CDB एसबीडी /SDB बीई/BE आपूर्ति बिल/SUPPLY BILLS एफडीबी/एफबीई/पीएससीएफसी/FDB/FBE/PSCFC				
अन्य अल्प अवधि ऋण/ Other short term loan				
मियादी ऋण /डीपीजी/Term loan/DPG				
साख -पत्र/Letter of credit				
बैंक गारंटी/Bank guarantee				

मियादी ऋण की आवश्यकता के मामले में भूमि, इमारत, मशीनरी/ यंत्रों का विवरण दिया जाना है/

In case of term loan requirements, the details of land, building, machinery / equipments to be given

आस्ति का प्रकार- भूमि /Type of asset - Land					
उद्देश्य जिसके लिए चाहिए / Purpose for which required	आबंटित / खरीदी गई /Whether Allotted/ purchased	प्राधिकारी जिसने भूमि आबंटित की / विक्रेता / Name of the authority who allotted the land/ Vendor	अधिग्रहण की कुल कीमत (स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्कसहित)/ Total cost of acquisition (including stamp duty & registration)	प्रायोजिक योगदान / Promoters contribution	वांछित ऋण / Loan required
आस्ति का प्रकार- इमारत / Type of asset - Building					
उद्देश्य जिसके लिए चाहिए / Purpose for which required	आबंटित खरीदी गई /Whether/ constructed/ purchased	विक्रेता/ठेकेदार/वास्तुविद का नाम/ Name of the vendor/ contractor/architect	कुल अभिग्रहण /निर्माण /Total of acquisition/ construction	प्रायोजिक योगदान / Promoters contribution	वांछित ऋण / Loan required
आस्ति का प्रकार- मशीनरी/ यंत्र / Type of asset - Machinery/Equipment					
मशीनरी/यंत्र का नाम / Name of the machinery/ equipment	मशीनरी /यंत्र की आवश्यकता / Need forthe machinery/ equipment	क्या आयातित /स्वदेशी / Whether imported / indigenous	मशीनरी/ यंत्र की कुल कीमत (आयातित मशीन के मामले में बीमा का विश्लेषित मूल्य, सीमा शुल्क दिया जाना है) Total cost of the machinery/ equipment (in case of imported machine, the break up of insurance, custom duty to be given)	प्रायोजिक योगदान / Promoters contribution	वांछित ऋण / Loan required

19. क्या संपार्श्विक प्रतिभूति देने के इच्छुक हैं / Whether willing to offer collateral security:

हाँ/Yes/ नहीं/No

यदि नहीं तो सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों क्रेडिट गारंटी निधि (CGTMSE) के अधीन सुरक्षा के इच्छुक हैं:

If not, seeking cover under Credit Guarantee Fund for Micro & Small Enterprises (CGTMSE):

हाँ/Yes/ नहीं/No

20. तीसरी पार्टी गारंटी सहित संपार्श्विक प्रतिभूति का विवरण यदि कोई हो / Details of collateral security offered, if any, including third party guarantee:

(भारिबैं की दिशा निर्देशानुसार सूक्ष्म एवं लघु इकाईयों को रु 10 लाख तक के ऋण के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति के लिए बैंकों द्वारा जोर नहीं देना है)

(As per RBI guidelines, banks are not to insist for collateral security for loans upto Rs. 10 lacs to MSE unit)

--

21. पिछला कार्यनिष्पादन /भविष्य का अनुमान (कार्यशील पूंजी सुविधा के लिए पिछले 2 वर्षों का वास्तविक कार्यनिष्पादन, चालू वर्ष के लिए अनुमान एवं अगले के लिए अनुमान दी जानी है। फिर भी मियादी ऋण के लिए प्रस्तावित अवधि ऋण के पुनर्भुगतान की अवधि तक अनुमान दिया जाना है)

राशि लाख रु में	पिछला वर्ष II (वास्तविक)	पिछला वर्ष I (वास्तविक)	चालू वर्ष (अनुमान)	अगला वर्ष (अनुमान)
सकल बिक्री				
कुल बिक्री				
कुल लाभ (टैक्स के बाद)				
मूल्यहास				
पूंजी (कंपनी के मामले में कुल)				

22. सांविधिक बाध्यता के संबंध में स्थिति

क्रमांक	सांविधिक बाध्यता	क्या पूरी की गई (हाँ/ नहीं)(यदि लागू नहीं तो -लागू नहीं लिखें)	अभियुक्तियां (संबंधित बाध्यता के संबंध में कोई विवरण दिया जाना)
1	दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के अधीन पंजीकरण		
2	एमएसएमई के तहत पंजीकरण के उद्योग आधार ज्ञापन की फाइलिंग (अनंतिम / अंतिम)		
3	ड्रग लाइसेंस		
4	अद्यतन दिया गया बिक्री कर / जीएसटी विवरणी		
5	अद्यतन दिया गया आय कर विवरणी		
6	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमति		
7	कोई अन्य शेष बचे सांविधिक अतिदेय		

23. फोटोग्राफ लगाने के लिए स्थापन

मालिक/साझेदार/ निदेशक का हस्ताक्षर जिसका फोटोग्राफ ऊपर लगाया गया है व्यक्ति /मालिक का केवल एक /प्रत्येक साझेदार/ प्रत्येक कार्यकारी निदेशक के फोटोग्राफ लगाये जाने की आवश्यकता है। फोटोग्राफ पर शाखा के प्राधिकारी कर्मचारी द्वारा उनका नाम एवं हस्ताक्षर देते हुए शाखा की मुहर के साथ प्रत्येक फोटोग्राफ को सत्यापित/ साध्यांकित किया जाना है। शाखा अधिकारी को अपने हस्ताक्षर के नीचे उसका नाम लिखा जाना है।

मैं/हम सत्यापित करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा दी गई जानकारी सत्य है कि -

आवेदन में सूचित किए गये के अतिरिक्त मेरे/हमारे द्वारा ईकाई के लिए कोई उधार व्यवस्था नहीं की गई है;

आवेदन में सूचित किए गये के अतिरिक्त मेरे/हमारे/ मालिकों पर कोई अतिदेय/ अनिवार्य अतिदेय नहीं हैं; मेरे/हमारे/मालिकों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है।

मेरे/हमारे आवेदन के संबंध में मैं/हम आपके द्वारा माँगे जाने पर अन्य सूचनाएं देंगे जिससे आपके द्वारा उचित समझाने पर अन्य एजेंसी से बदला जा सकता है; एवं ,

आप, आपके प्रतिनिधि या भारतीय रिज़र्व बैंक या आपके द्वारा प्राधिकृत अन्य दूसरी एजेंसी किसी समय उपर्युक्त बताई गई हमारी फ़ैक्टरी/ व्यापार परिसर में मेरी/हमारी संपत्तियों, लेखा बहियों आदि का निरीक्षण/सत्यापन कर सकती है।

स्थान:
दिनांक:

हस्ताक्षर
मालिक/ साझेदार/ईकाई/फर्म के निदेशक

21. PAST PERFORMANCE/FUTURE ESTIMATES (Actual performance for 2 previous years, estimates for current year and projection for next to be furnished for working capital facilities. However, for term loans facilities, projections to be furnished till the proposed period up to the repayment of loan)

Amount in Rs.lacs	Past Year II (Actuals)	Past Year I (Actuals)	Current year (Estimates)	Next Year (Projections)
Gross sales				
Net sales				
Net profit (after tax)				
Depreciation				
Capital (Net worth in case of companies)				

22. STATUS REGARDING STATUTORY OBLIGATIONS

Sl.No	Statutory obligation	Whether complied with (Yes/No)(If not applicable, then write - NA)	Remarks (Any details in connection with relative obligation to be given)
1	Registration under Shops & Establishment Act		
2	Registration under MSME (Provisional/Final) of filing of Udyog Aadhar Memorandum		
3	Drug license		
4	Latest Sales Tax/ GST Return filed		
5	Latest Income Tax Return filed		
6	Clearance from Pollution Control Authority		
7	Any other statutory dues remaining outstanding		

23. SPACE FOR AFFIXING PHOTO/S

SIGNATURES OF THE PROPRIETOR/PARTNER/DIRECTOR WHOSE PHOTO IS AFFIXED ABOVE

Only one photo of the individual/proprietor/each partner/each working director is required to be affixed. Each photo will be certified / attested by the authorized official of the Branch duly affixing his name and signature on the photograph with Branch stamp. The name of Branch Official to be put his/her name below his signature.

I/We certify that all information furnished by me/us is true; that -

I/We have no borrowing arrangements for the unit except as indicated in the application;

There are no overdues/statutory dues against me/us/promoters except as indicated in the application; No legal action has been/is being taken against me/us/promoters;

I/We shall furnish all other information that may be required by you in connection with my/our application which may also be exchanged by you with any Agency you may deem fit; and,

You, your representatives, or the Reserve Bank of India or any other Agency as authorized by you, may, at any time, inspect/verify my/our assets, books of accounts, etc. in our factory/business premises as given above.

Place:

SIGNATURE/S

Date:

PROPRIETOR/PARTNER/DIRECTOR OF THE UNIT/FIRM

.....शाखा

पावती (ऋण सुविधा के आवेदन की प्राप्ति के लिए)

प्रिय महोदय,

हमें ऋण सुविधा के लिए आपका आवेदन प्राप्त हुआ।

हम आज से _____ दिनों/सप्ताहों के अन्दर उक्त आवेदन पर अपना निर्णय बताने का प्रयास करेंगे।

आपका प्रस्ताव उच्च प्राधिकारी की शक्तियों के अधीन है। अतः हम आज से _____ दिनों/सप्ताहों के अन्दर उक्त आवेदन पर अपना निर्णय सूचित करने का प्रयास करेंगे। तथापि यह अवधि इन दोनों कार्यालयों के बीच पारवहन अवधि एवं उनके द्वारा आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए माँगे गये अतिरिक्त विवरणों/ प्रपत्रों को एकत्र करने में लगे समय के अतिरिक्त है।

स्थान:

दिनांक:

प्रबंधक/वरिष्ठ प्रबंधक/मुख्य प्रबंधक (शाखा की मुहर)

आवेदन आवक संख्या / दिनांक

यहाँ से फाड़ें

.....शाखा

पावती (ऋण सुविधा के आवेदन की प्राप्ति के लिए)

प्रिय महोदय,

हमें ऋण सुविधा के लिए आपका आवेदन प्राप्त हुआ।

हम आज से _____ दिनों/सप्ताहों के अन्दर उक्त आवेदन पर अपना निर्णय बताने का प्रयास करेंगे।

आपका प्रस्ताव उच्च प्राधिकारी की शक्तियों के अधीन है। अतः हम आज से _____ दिनों/सप्ताहों के अन्दर उक्त आवेदन पर अपना निर्णय सूचित करने का प्रयास करेंगे। तथापि यह अवधि इन दोनों कार्यालयों के बीच पारवहन अवधि एवं उनके द्वारा आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए माँगे गये अतिरिक्त विवरणों/ प्रपत्रों को एकत्र करने में लगे समय के अतिरिक्त है।

स्थान:

दिनांक:

प्रबंधक/वरिष्ठ प्रबंधक/मुख्य प्रबंधक (शाखा की मुहर)

आवेदन आवक संख्या / दिनांक

केनरा बैंक  Canara Bank

To

..... Branch .

.....
.....

ACKNOWLEDGMENT (FOR RECEIPT OF APPLICATION FOR CREDIT FACILITY)

Dear Sir,

We acknowledge receipt of your application for credit facility.

It will be our endeavour to convey our decision on the said application within _____ days / weeks from now.

Your proposal falls within the powers of our higher authorities. Hence, it will be our endeavour to convey our decision thereon within __ days/weeks from now. However, this period is exclusive of transit period between these two offices and the time taken by them to collect the additional details/documents needed by them to process the applications.

Place:

Date:

Manager/Senior Manager/Chief Manager (Branch Seal)

APPLICATION INWARD NO. /DATE	
------------------------------	--

.....TEARHERE.....

केनरा बैंक  Canara Bank

To

..... Branch

.....
.....

ACKNOWLEDGMENT (FOR RECEIPT OF APPLICATION FOR CREDIT FACILITY)

Dear Sir,

We acknowledge receipt of your application for credit facility.

It will be our endeavour to convey our decision on the said application within _____ days / weeks from now.

Your proposal falls within the powers of our higher authorities. Hence, it will be our endeavour to convey our decision thereon within __ days/weeks from now. However, this period is exclusive of transit period between these two offices and the time taken by them to collect the additional details/documents needed by them to process the applications.

Place:

Date:

Manager/Senior Manager/Chief Manager (Branch Seal)

APPLICATION INWARD NO. /DATE	
------------------------------	--

जॉच सूची (शाखा इसे नये ग्रहकों को दे) जिसे ग्राहक द्वारा तैयार रखा जाए / प्रस्तुत किया जाये

1. पहचान का प्रमाण -मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड/पत्र/ड्राईविंग लाइसेंस/पैन कार्ड/मालिक, साझेदार, या निदेशक (कंपनी है तो) के वर्तमान बैंकों द्वारा पहचाना गया हस्ताक्षर।
 2. आवास का साक्ष्य- हाल ही का टेलीफोन बिल, बिजली बिल, मालिक, साझेदार या निदेशक (कंपनी है तो) का संपत्ति कर रसीद / मतदाता पहचान पत्र।
 3. कारोबार स्थान के पते का प्रमाण
 4. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये अल्प संख्यक / अ.जा. / अ.ज.जा. का प्रमाण
 5. कंपनी के अंतर्नियम व बहिर्नियम, कंपनी के निगमन का प्रमाणीकरण / साँझेदारी या एलएलपी का साँझेदारी विलेख / न्यास का न्यास विलेख / संस्था के उप नियम आदि।
 6. यदि कंपनी हो तो कंपनियों के रजिस्ट्रार के साथ दायर की गई रिटर्न की प्रति, नवीनतम तलाशी रिपोर्ट
 7. नवीनतम आयकर विवरणियों के साथ प्रायोजकों व गारंटर्स के आस्ति-देयता विवरण
 8. किराया करार (यदि कारोबार परिसर किराये पर है तो)
 9. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति / पानी आपूर्ति के लिए विद्युत बोर्ड से मंजूरी, लागू हो तो।
 10. एमएसएमई पंजीकरण / उद्योग आधार ज्ञापन की प्रति, यदि लागू हो तो
 11. इकाई का प्रोफाइल (इकाई / कंपनी के प्रायोजकों / निदेशकों के नाम, अपनाया गया क्रिया कलाप, सारे कार्यालयों / संयंत्रों के पते / शेयरधारण का पैटर्न आदि शामिल है।
 12. आयकर/ बिक्री कर/ जीएसटी विवरणियाँ आदि के साथ इकाई / इकाइयों के पिछले तीन वर्षों के तुलन पत्र (रु.25,000 से अधिक के सभी मामलों पर लागू)। तथापि, रु.20 लाख से कम्मे निधि आधारित सीमाओं के मामले में यदि लेखा परिक्षित तुलन पत्र उपलब्ध नहीं है, तो बैंक के मौजूदा अ नुदेक्षों अनुसार बिना लेखा परीक्षित तुलन पत्र स्वीकार किया जा सकता है। रु.20 लाख और उस से अधिक के मामलों में लेखा परीक्षित तुलन पत्र आवश्यक है। किसी मामले में लेखा परीक्षित तुलन पत्र 6 म हीसेभ्यादा पुराना है तो, हाल ही तारिख का अनंतिम तुलन पत्र प्रस्तुत किया जाये (रु.25,000 तक के ऋणों के मामले में - वित्त विवरण तैयार करना सांविधिक आवश्यकता है तथा उसे आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाना है।)
 13. कार्यशील पूँजी सीमाओं के मामले में अगले 2 वर्षों के लिए एऔर सावधि ऋण के मा म ले भ्रंण अवधी के लिए पूर्वानिमानित तुलन पत्र (रु.25,000/-से अधिक के सभी मामलों में)
 14. बैंक के निर्धारित प्रारूप में ऋण निगरानी व्यवस्था डाटा प्रपत्र (1 करोड और उससे अधिक की सकल निधि आधारित कार्यशील पूँजी सीमा के मामले पर लागू)
 15. अधिग्रहीत अग्रिमों के मामले में, विस्तृत शर्तों व नियमों, पिछले 12 महीनों के लिए खाते की पास शीट / विवरणियों सहित मौजूदा बैंकों / वित्तीय संस्थाओं से ली गई सुविधाओं के मंजूरी पत्र।
 16. मौजूदा बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के पास खातों की स्थिति और उन के पास आस्तियों के मानक स्थिति के बारे में पुष्टीकरण।
 17. परियोजना रिपोर्ट (रु.10 लाख और उससे अधिक के ऋण के लिए) जिसमें प्रायोजक, उत्पाद चयन, बाजार सर्वेक्षण, उद्योग प्रोफाइल, सरकारी सहमति, स्थान, उत्पादन की प्रक्रिया, संयोजन/पेटेंट/तकनीकी जानकारी, परियोजना लागत, वित्त स्रोत, परियोजना अनुसूचित, गेस्टेशन अवधि, विपणनीयता, विक्रय व्यवस्था, प्रबंधन, परिचालन / लाभदाप्रदता विवरण, निधि प्रवरण विश्लेषण, लाभ-अलाभ विश्लेषण, अनुपात विश्लेषण, कार्यशील पूँजी मूल्यांकन, स्वाँट विश्लेषण (ताकत, कमजोरी, अवसर, खतरा) के विवरण तथा ऐसे अन्य विवरण (सावधि ऋणों -नई/विस्तरण/आधुनीकरण परियोजनायें पर लागू) शामिल हैं।
 18. सनदी लेखाकार/सनदी इंजिनियर द्वारा जारी की गई परियोजना कार्यान्वयन प्रगति रिपोर्ट (मौजूदा इकाइयों के तहत पहले किए गए कार्यान्वयन/ विस्तारण / आधुनिकिकरण के त हपत्तियोजनाओं के संबंध में अपेक्षित सावधि ऋणों के मामले में)
 19. मासिकवार विक्रय, उत्पादन, आयातित कच्चा माल, देशी कच्चा माल, प्रक्रिया में स्टॉक का मूल्य, तैयार माला (सारे मामलों में मात्रा एवं मूल्य सूचित करना है) लेनदार-देनदार, कार्यशील पूँजी सीमाओं के लिए बैंक का बकाया, सावधि ऋण सीमा, बुनाये गये बिल आदि।
 20. प्राथमिक / संपार्श्विक प्रतिभूतियों के रूप में प्रसतावित की गई सभी संपत्तियों के पट्टेदारी/स्वामित्व विलेखों की प्रतियाँ।
 21. संघ / समूह कंपनियों (यदि कोई हैं) के पिछले तीन वर्षों के तुलन पत्र।
 22. किसी भी मान्यता प्राप्त साख जोखिम रेटिंग एजेंसी (जैसे क्रिसिल, इक्रा, डन व ब्राड स्ट्रीट, फिच, स्मेरा इत्यादि) से नवीनतम साख जोखिम रिपोर्ट (जो 12 महीनों से पुराना न हो)
 23. इकाई यदि निर्यात से संबन्धित है तो निर्यात की जानेवाली उत्पाद का विवरण, पिछले तीन सालों में निर्यात की मात्रा, लंबित जी आर प्रपत्रों का विवरण
- (यहां की सूची सिर्फ सूचनात्मक है न कि व्यापक। विभिन्न स्थानों की स्थानिय आवश्यकताओं के आधार पर इस में संवर्धन किया जा सकता है।)

CHECKLIST (TO BE GIVEN TO THE NEW CUSTOMERS BY BRANCH) OF DATA TO BE KEPT READY/SUBMITTED BY THE CUSTOMER

1. Proof of identify – Voter's ID card/Aadhar Card / passport/driving license/PAN card/signature identification from present bankers of proprietor, partner or director (if a company)
2. Proof of residence – Recent telephone bills, electricity bill, property tax receipt/voter's ID card of proprietor, partner or director (if a company)
3. Proof of business address
4. Proof of Minority/SC/ST issued by the competent authority
5. Memorandum and Articles of Association, Certification of incorporation of the Company/Partnership Deed of the partnership firm or LLP /Trust Deed of the Trust/Bye Laws of the Society, etc.
6. In case of company, copies of return filed with ROC (Registrar of Companies), latest Search Report.
7. Assets and liabilities statement of promoters and guarantors along with latest income tax returns.
8. Rent agreement (if business premises is on rent)
9. Clearance from Pollution Control Board/Sanction from Electricity Board for supply of water, if applicable
10. Copy of MSME registration/Entrepreneur's Memorandum if applicable
11. Profile of the unit (includes names of the promoters, directors of the unit/company, the activity being undertaken, addresses of all offices/plants, shareholding pattern etc.
12. Last 3 years Balance Sheets of the unit/s along with income tax/sales tax returns etc. (applicable for all cases of loans above Rs.25000/-). However, for cases below Fund Based limits of Rs.20 lacs, if Audited Balance Sheets are not available, unaudited Balance Sheets may be acceptable as per extant instructions of the Bank. For cases of Rs.20 lacs and above, the Audited Balance Sheets are necessary. In case the Audited Balance Sheet is more than 6 months old, Provisional Balance Sheet of recent date to be submitted. (In case of loans upto Rs.25000/-, drawing of financial statement is a statutory requirement, the same to be submitted along with the application).
13. Projected Balance Sheets for the next 2 years in case of working capital limits and for the period of the loan in case of term loan (for all cases of above Rs.25000/-).
14. Form of Credit Monitoring Arrangement (CMA) data in the prescribed format of the Bank (applicable in case of aggregate fund based working capital limit of Rs.1 crore and above).
15. In case of take over of advances, letters of sanction for facilities being availed from existing bankers/financial institutions along with detailed terms and conditions, pass sheet/statement of account for the last 12 months.
16. Position of accounts from the existing bankers/financial institution and confirmation about the asset being Standard with them.
17. Project report (for loans of Rs.10 lacs and above) containing details of the promoter, product choice, market survey, industry profile, government consents, location, process of production, collaboration/patent/technical know how, cost of the project, means of finance, project schedule, gestation period, marketability, selling arrangements, management, operating/profitability statements, fund flow analysis, break even analysis, ratio analysis, working capital assessment, SWOT analysis (strength, weakness, opportunity, threats) and such other details (applicable in case of term loans – new/expansion/modernization projects).
18. Project implementation progress report issued by Chartered Accountant/Chartered Engineer (in case of term loans sought in respect of projects already under implementation/expansion/ modernization of the existing units already undertaken).
19. Month wise sales, production, imported raw materials, indigenous raw material, value of stocks in process, finished goods (quantity and value to be indicated in all cases), debtors, creditors, bank's outstanding for working capital limits , term loan limits, bills discounted etc.
20. Photocopies of the lease deed/title deeds of all the properties being offered as primary/collateral security.
21. Last 3 years Balance Sheets of the Associate/Group Companies (if any).
22. Latest Credit Risk Rating Report (not older than 12 months) obtained if any from any recognized credit risk rating agency (CRISIL, ICRA, Dun & Brad Street, Fitch, SMERA etc).
23. If the unit is export oriented, details of products being exported, quantum of exports made in the last 3 years, details of pending GR forms.

(The checklist is only indicative and not exhaustive. Depending upon the local requirements at different places, addition could be made as per necessity)

शुल्क, ऋण आवेदनों के निपटान के लिए सामरिक मानदंड और उपलब्ध ऋण सुविधाओं का ब्यौरा

क. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यमउद्यमों (प्राथमिकता क्षेत्र) के प्रस्तावों के प्रसंस्करण हेतु देय शुल्क / प्रभार आदि।

1. प्रसंस्करण प्रभार (ऋण आवेदन देते समय आवेदक द्वारा अदा किया जाना है)

	ऋण राशि	सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (प्राथमिकता क्षेत्र)
अल्प कालिक ऋण - 12 महीनों में पुनर्भुगतान	i) रु 5 लाख तक ii) रु 5 लाख से अधिक तथा रु 1 करोड तक iii) रु 1 करोड से अधिक	शून्य रु 100 प्रति लाख या उसके भाग के लिए न्यूनतम रु. 500/- व अधिकतम रु. 10000/- रु 150 प्रति लाख या उसके भाग के लिए न्यूनतम रु15000/- अधिकतम रु 7.5 लाख
सावधि ऋण - 12 महीनों के परे भुगतान	i) रु 5 लाख तक ii) रु 5 लाख से अधिक तथा रु 1 करोड तक iii) रु 1 करोड से अधिक	शून्य ऋण राशि में 0.75% न्यूनतम रु 3750/- व अधिकतम रु75000/- ऋण राशि में 1% अधिकतम रु 7.50 लाख

2. निम्न मामलों में प्रसंस्करण प्रभारों की वापसी :

क. बैंक द्वारा ऋण मंजूर नहीं किये जाने पर - पूरी वापसी

ख. बैंक द्वारा अंशिक ऋण मंजूर किये जाने पर - समनुपातिक वापसी

ग. उधारकर्ता ने ऋण नहीं लिया तो या बैंक को आवश्यक सूचना/ दस्तावेज देने में असफल रहने पर - कोई वापसी नहीं

3. पूर्व भुगतान दंड :

ऋणों के पूर्व भुगतान के लिए कोई दंड नहीं है। सब्सिडी के रहने पर संबंधित योजना के दिशानिर्देश लागू होंगे।

4. अन्य प्रभार

सरकार प्रायोजित योजनाओं को छोड़कर अन्य ऋणों के मसामस्तियों खरीदने के लिए संवितरित किये जमे वाले ऋण से संबन्धित डीडी कमीशन उधारकर्ता से लिया जाएगा।

5. विधि प्रभारों, डाक प्रेषण स क्लिक्कर व्यय

उधार खाता सेवा प्रदान करने के लिए बैंक द्वारा किये गये वास्तविक व्यय जैसे निरीक्षण, मंजूरी पूर्व व मंजूरी के पश्चात दौरे, वसूली दौरे, बीमा, भूमि, भवन, संयंत्र, मशीनरी, वाहन, आदि के मामले में अनुमोदित मूल्यांककों को संदेय प्रभार, नोटिस प्रेषण आदि व्यय आवेदक / उधारकर्ता द्वारा किया जाना चाहिए।

6. निरीक्षण प्रभार – (कमजोर वर्ग तथा सरकार प्रायोजित योजनाओं के संबन्ध में)

1. ₹ 25,000/- तक की ऋण राशि - शून्य

2. ₹ 25,000 से अधिक और 2 लाख तक ऋण राशि : प्रतिवर्ष अधिकतम 150/- ₹ के अधीन प्रति उधारकर्ता से 10/- ₹ या वास्तव में किया गया व्यय जो भी अधिक हो

3. 2 लाख ₹. से अधिक की ऋण राशि के लिए प्रतिवर्ष अधिकतम 200/- ₹ के अधीन प्रति उधारकर्ता से प्रति निरीक्षण के लिए 50/- ₹ या वास्तविक व्यय में जो अधिक हो

DETAILS OF FEE, TIME NORMS FOR DISPOSAL OF LOAN APPLICATIONS & CREDIT FACILITIES AVAILABLE

7. Fees/charges etc. payable for processing proposals relating to Micro & Small Enterprises (Priority Sector)

1. Processing charges (to be paid by the applicant at the time of submission of loan application form)

	Loan amount	Micro ,Small & Medium Enterprises (Priority Sector)
Short term loans repayable within 12 months	i.Upto Rs.5 lacs/-	Nil
	ii.Above Rs.5 lacs & upto Rs.1 crore	Rs.100 per lac or part thereof. Minimum Rs.500/- and Maximum Rs.10,000/-
	iii.Above Rs.1 crore	Rs.150/- per lac or part thereof. Minimum Rs.15000/- & Maximum Rs.7.5 lacs
Term loans repayable over 12 months	i.Upto Rs.5 lacs/-	Nil
	ii.Above Rs.5 lacs & upto Rs.1 crore	0.75% of loan amount. Minimum Rs.3750/- and Maximum Rs.75,000/-
	iii.Above Rs.1 crore	1% of loan amount Maximum Rs.7.50 lacs

2. Refund of processing charges in case of:

- Non sanction of loan by the Bank: Refund in full
- Part sanction of loan by the Bank: Pro-rata will be refunded
- Non avilment of loan by the borrower or if the borrower fails to comply with the Bank's requirement in furnishing the necessary information/documents: No refund

3. Pre-payment penalty

No penalty for prepayment of loans. Where subsidy is involved, guidelines as per the respective scheme shall be applicable.

4. Other charges

DD commission for loan disbursement for purchase of assets will be collected from the borrower in case of loan other than Government sponsored schemes.

5. Out of pocket expenses including legal charges, remittances by post

All out-of-pocket expenses actually incurred by the Bank for servicing the borrowal account such as inspection, pre-sanction and post-sanction visits, recovery visits, insurance, valuation charges payable to approved valuers in respect of land, building, plant, machinery, vehicles, sending notices, etc should be paid by the applicant/ borrower.

6. Inspection charges (In respect of Weaker Section & Government Sponsored Schemes)

- Loan amount upto Rs.25000/- : Nil
- Loan amount above Rs.25000/- and upto Rs.2 lacs: Rs.10/- per inspection per borrower subject to a maximum of Rs.150/- per year
- Loan amount above Rs.2 lacs: Rs.50/- per inspection or actual expenses incurred whichever is higher with a maximum of Rs.200/- per year

7. निरीक्षण प्रभार – कमज़ोरेतर वर्ग

1. 25,000 ₹ तक की ऋण राशि - शून्य
2. ₹25,000 से अधिक और ₹2 लाख तक - प्रतिवर्ष अधिकतम 300/- के अधीन प्रति उधारकर्ता से प्रति निरीक्षण के लिए 25- या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो
3. ₹ 2 लाख से अधिक की ऋण राशि के लिए प्रति उधारकर्ता से रु. 200/- प्रति निरीक्षण के लिए वास्तविक व्यय में से जो अधिक हो

8. प्रलेखीकरण प्रभार 0.10% के साथ न्यूनतम रु 250/- तथा अधिकतम रु 25000/- (रु 2 लाख से अधिक ऋणों के लिए लागू)

9. लेजर फोलियो प्रभार

ओडी/ओसीसी चालू कार्यकारी पूंजी सुविधाओं के मामले में – रु 100 प्रति लेजर पृष्ठ के लिए

ख. संपूर्ण ऋण आवेदन प्राप्त होने की तारीख से लेकर निपटान करने के लिए निर्धारित समय मानदंड

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| 1. 25,000 ₹. तक के ऋण | 2 हफ्ते |
| 2. 25,000 ₹ के परे और 5 लाख ₹ तक | 4 हफ्ते |
| 3. 5 लाख ₹ से अधिक तथा 25 लाख ₹ तक | 1. एमएसई
2. मध्यम |
| | 4 हफ्ते
45 दिन |
| 4. 25 लाख से अधिक | 8 हफ्ते |

ग. उपलब्ध ऋण सुविधायें

1. प्रोत्साहकों के साथ ऋण सुविधायें
 - क. प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि (टीयूएफ) योजना
 - ख. साख सहबद्ध पूंजी सब्सिडी (सीएलसीएस) योजना
 - ग. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) योजना
 - घ. कॉयर उद्योग के लिए पुनरुत्थान, नवीकरण एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन (आरईएमओटी) हेतु नई केन्द्रीय क्षेत्र योजना
 - ङ. चर्म क्षेत्र की एकीकृत विकास योजना (आईडीएलएसएस)
 - च. खादी व ग्रामीण उद्योग आयोग की ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण पत्र के तहत संस्थाओं को ऋण
 - छ. एसएमई क्षेत्र के लिए ऊर्जा बचत योजना
 - ज. सौर जल तापक के लिए सुलभ ऋण योजना
2. अन्य सुविधाएं (उदाहरणात्मक)
 - क. सूक्ष्म व लघु उद्योगों को संपार्श्व मुक्त ऋण
 - ख. सूक्ष्म व लघु उद्योगों के लिए साख गारंटी निधि योजना में गारंटी प्रावरण
 - ग. सम्मिश्रित ऋण योजना
 - घ. लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना
 - ङ. डॉक्टर्स च्वाइस
 - च. विनिमय बिल सुविधा (बीई-एसई)

घ. सामान्य शर्तें :

पात्रता	साधारणतया व्यक्ति, मालिकाना प्रतिष्ठान, साँझेदारी संगठन, सीमित देयता साँझेदारी (एलएलपी), कॉर्पोरेट आदि
मार्जिन	₹25,000/- तक शून्य ₹25,000/- से अधिक - बैंक निर्धारण अनुसार 15% - 25%

प्रतिभूति	<p>क. अग्रिम के लिए अस्तियों द्वारा सृजित ऋणों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया जाए</p> <p>ख. जो ऋण सीजीटीएमएसई के तहत प्रावरण के लिए पात्र हैं, उन के लिए संपार्श्विक / तीसरी पार्टी गारंटी की आवश्यकता नहीं है</p> <p>अ) रु 10 लाख तक</p> <p>आ) रु 200 लाख तक – बैंक रिकार्डों के मुताबिक जिन इकाइयों का कार्य निष्पादन तथा वित्तीय स्थिति अच्छा रही तथा ऐसे खाते सीजीटीएमएसई की गारंटी योजना के तहत प्रावरित हैं।</p> <p>ग. निर्धारित सीमा से अधिक ऋणों के लिए - बैंक द्वारा निर्धारित संपार्श्विक / तीसरी पार्टी की गारंटी</p>
ब्याज दर	<p>अवधि आधारित एमसीएलआर (उधार दर की सीमांत लागत)</p> <p>रु 50000/- तक एमसीएलआर + 0.95% से 1.20 % तक का स्प्रेड</p> <p>रु 50000/- से अधिक तथा रु 2 लाख तक – एमसीएलआर + 0.95% से 1.45% तक का स्प्रेड</p> <p>रु 2 लाख से अधिक खाते की जोखिम रेटिंग श्रेणी पर आधारित ब्याज दर</p>

7. Inspection charges Other than weaker sections

- I. Loan amount upto Rs.25000/-: Nil.
- II. Loan amount above Rs.25000/- upto Rs.2 lacs:- Rs.25/- per inspection per borrower subject to maximum of Rs.300/- per year per borrower.
- III. Loan above Rs.2 lacs: Rs.200/- per inspection per borrower or actual expenses incurred whichever is higher.

8. Documentation Charges : - 0.10% with a minimum of Rs.250/- and maximum of Rs.25000/- (Applicable to loans above Rs.2 lacs)

9. Ledger folio charges

In case of running working capital facilities like OD/OCC etc: Rs.100/- per ledger page

B. Time norms for disposal from the date of receipt of completed loan applications

		Micro & Small Enterprises
i.	Loans upto Rs.25000/-	2 weeks
ii.	Beyond Rs.25000/- upto Rs.5 lacs	4 weeks
iii.	Over Rs.5 lacs upto Rs.25 lacs	1. MSE 4 weeks
		2. Medium 45 days
iv.	Over Rs.25 lacs	8 weeks

C. Credit facilities available

1. Credit facilities with incentives:

- a. Technology Upgradation Fund(TUF) scheme
- b. Credit Linked Capital Subsidy (CLCS) scheme
- c. Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP)scheme
- d. New Central Sector Scheme for Rejuvenation, Modernization & Technology Upgradation (REMOT) scheme for coirindustry
- e. Integrated Development of Leather Sector scheme (IDLSS)
- f. Loans to institutions under Interest Subsidy Eligibility Certificate of Khadi & Village Industries Commission (KVIC-ISEC)
- g. Scheme for Energy Savings for SMEs
- h. Soft loan scheme for Solar Water Heaters

2. Other facilities (Illustrative only):

- a. Collateral free loans upto Rs.5 lacs to Micro & Small Enterprises
- b. Guarantee cover under Credit Guarantee Fund Scheme for Micro & Small Enterprises
- c. Composite loan scheme
- d. Artisan credit card
- e. Laghu Udyami Credit Card scheme

- f. Doctor's Choice
- g. Bill of exchange facility (BE-SE) facility

D. General conditions:

Eligibility	Generally individuals, proprietorship concerns, partnership firms, Limited Liability Partnership (LLP) Corporates etc.
Margin	Upto Rs.25,000/- Nil Over Rs.25,000/- 15% to 25% as determined by Bank
Security	A. Assets created out of loans shall be taken as prime security for the advance. B. No Collateral security/third party guarantee in respect of loans, which are eligible to be covered under CGTMSE: a) Upto Rs.10 lacs b) Upto Rs.200 lacs in respect of units whose track record and financial position are good as per Bank records and such accounts are covered under guarantee scheme of CGTMSE. C. For loans beyond above limits, collateral security / third party guarantee as determined by the Bank.
Rate of interest	Tenor based MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) Upto Rs.50,000/- MCLR + Spread of 0.95% to 1.20% Above Rs.50,000/- upto Rs.2 lacs MCLR + Spread of 0.95% to 1.45% Above Rs.2 lacs : Rate of interest based on the Risk Rating Grade of the account.

Note: Before issuing the application form to the applicant, branches to ensure that the details of fee, other service charges & rate of interest mentioned in the relevant portion of the application are as prevailing at the time of issuing the application.

नोट: उधारकर्ता का आवेदन पत्र जारी करने के पहले शाखायें सुनिश्चित करें कि आवेदन के संबंधित भाग में में दिए गये शुल्क, अन्य सेवा प्रभार, ब्याज दर आदि के विवरण आवेदन जारी करने के समय लागू होने वाले हैं।

निम्नलिखित सुनिश्चित करने हेतु शाखाओं के लिए जाँच सूची:

मांगी गई ऋण सुविधा हेतु समुचित आवेदन जारी किया गया है	हाँ / नहीं
दिशानिर्देशों के अनुसार आवेदक इकाई एमएसएमई के परिभाषा के अनुरूप है	हाँ / नहीं

आवेदक इकाई निम्न के लिए पात्र हैं :

सीजीएमएसई के तहत प्रावरण	हाँ / नहीं
प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि (टीयूएफ) योजना के तहत सब्सिडी	हाँ / नहीं
साख संबद्ध पूँजी सब्सिडी (सीएलसीएस) योजना के तहत सब्सिडी	हाँ / नहीं

प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम के तहत सब्सिडी	हाँ / नहीं
कॉयर उद्योग के लिए पुनरुत्थान, नवीकरण एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन (आरईएमओटी) हेतु नई केन्द्रीय क्षेत्र योजना के तहत सब्सिडी	हाँ / नहीं
चर्म क्षेत्र की एकीकृत विकास योजना के तहत सब्सिडी	हाँ / नहीं
एमएसएसई क्षेत्र हेतु आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के तहत छूट	हाँ / नहीं
एमएसएसई इकाई की ऋण पुनर्संरचना	हाँ / नहीं
रुग्ण लघु उद्योग / रुग्ण औद्योगिक इकाई का पुनर्वास / पोषण	हाँ / नहीं
एसएमई के पूंजी व्यय के लिए समर्थक ऋण	हाँ / नहीं
एसएमई द्वारा किये गये पूंजी व्यय की प्रतिपूर्ति	हाँ / नहीं
बीई - एमएसएमई / बीयूएलसी सुविधा	हाँ / नहीं
एसएमई क्षेत्र में वस्त्र निर्यातकों के लिए समर्थक सावधि ऋण सुविधा	हाँ / नहीं
एसएमई के लिए ऊर्जा बचत योजना	हाँ / नहीं
सौर जल तापकों के लिए ऋण योजना	हाँ / नहीं
आईएसओ 9000 श्रृंखला प्रमाणपत्र करने के लिए ऋण योजना	हाँ / नहीं
शिल्पकार क्रेडिट कार्ड	हाँ / नहीं
लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना	हाँ / नहीं
समिश्रित ऋण योजना	हाँ / नहीं
महिला उद्यम निधि (एमयूएन) योजना	हाँ / नहीं
संयुक्त देयता समूह (हथकरघा बुनकर / अगरबत्ती निर्माता) के तहत वित्तयन	हाँ / नहीं
डॉक्टर्स च्वाइस	हाँ / नहीं
अन्य कोई एमएसएमई योजना	हाँ / नहीं

नोट: उपर्युक्तम सूची सूचनात्मक है शाखाएं / कार्यालय योजना मार्गनिर्देशों के अद्यतन रूपांतर के लिए पता करें।

Checklist for the Branches to ensure the following:

Appropriate application for the type of credit facility sought is issued	Yes/No
Applicant unit fits into the definition of MSME as per the guidelines	Yes/No

Applicant unit is eligible for:

Cover under CGMSE	Yes/No
Subsidy under Technology Upgradation Fund(TUF) scheme	Yes/No
Subsidy under Credit Linked Capital Subsidy (CLCS) scheme	
Subsidy under Prime Minister's Employment Generation Programme	Yes/No
Subsidy under New Central Sector Scheme for Rejuvenation, Modernization & Technology Upgradation (REMOT) scheme for coir industry	Yes/No
Subsidy under Integrated Development of Leather Sector scheme	Yes/No
Relief under economic stimulus package to MSME sector	Yes/No
Debt Restructuring of MSME unit	Yes/No
Rehabilitation/Nursing of Sick small enterprises/Sick industrial unit	Yes/No
Standby credit for capital expenditure of SMEs	Yes/No
Reimbursement of capital expenditure incurred by SMEs	Yes/No
BE-MSME/BULC facility	Yes/No
Standby term loan scheme for Apparel Exporters in SME sector	Yes/No
Scheme for Energy Savings for SMEs	Yes/No
Loan scheme for Solar Water Heaters	Yes/No
Loan scheme for acquisition of ISO 9000 series certification	Yes/No
Artisan credit card	Yes/No
Ladhu Udvami Credit Card scheme	Yes/No
Composite loan scheme	Yes/No
Mahila Udvam Nidhi (MUN) scheme	Yes/No
Financing under Joint liability groups (Handloom weavers group/Agarbathi manufacturers group)	Yes/No
Doctor's Choice	Yes/No
Any other MSME Loan Scheme	Yes/No

Note: The above are only illustrative. Branches/offices have to check for the updated version of the scheme guidelines.